

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-9/उपा०कीट०-22/2006

/कृ०, पटना, दिनांक

अगस्त, 2015

प्रेषक,

बी० कार्तिकेय, भा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री मुकेश कुमार,
मेसर्स रैलिज इण्डिया लि०,
द्वारा-दीप नारायण निवास,
H/O श्री दीप नारायण ठाकुर,
द्वितीय तल छोटी पहाड़ी, पो०-बड़ी पहाड़ी,
अगमकुँआ, पटना।

विषय :- कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति सं०-134 दिनांक 28.09.2006 वैद्यता तिथि 31.12.2015 में इंडोर्समेन्ट एवं संशोधन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन पत्र, कोषागार चालान एवं अन्य सुसंगत कागजातों के आधार पर कीटनाशी अधिनियम, 1968 नियमावली, 1971 एवं आदेश 1986 के निहित प्रावधानों के आलोक में निम्नांकित कम्पनियों के कीटनाशियों का अनुज्ञप्ति सं०-134 दिनांक 28.09.2006 की वैद्यता तिथि 31.12.2015 के अन्तर्गत इंडोर्समेन्ट एवं संशोधन किया जाता है।

इंडोर्समेन्ट :-

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	कीटनाशी का नाम
1	मेसर्स एग्रीमास केमिकल्स लि०,	Cartap Hydrochloride 4% GR
2	मेसर्स पारीजात इन्डस्ट्रीज (इण्डिया) प्रा० लि०,	Fipronil 0.3% GR

2. कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक-1952 दिनांक 05.05.2014 एवं पत्रांक-3983 दिनांक 10.09.2014 में आशिक संशोधन करते हुए निम्नांकित कीटनाशियों के वैद्यता दिनांक 31.12.2015 तक किया जाता है।

क्र० सं०	कीटनाशी का नाम	क्र० सं०	कीटनाशी का नाम
1	Alphamethrin 10%EC	18	Propenophos 50% EC
2	Atrazine 50%WP	19	Pretilachlor 50% EC
3	Butachlor 50% EC	20	Kresoxim-methyl 44.3% W/W (500g/l)SC
4	Chlorpyriphos 20% EC	21	Isoprothiolane 40% EC
5	Cypermethrin 10% EC	22	Metalaxyl 8%+ Mancozeb 64% WP
6	Dimethoate 30%EC	23	Captan 70%+Hexaconazole 5% WP
7	Ethion 50%EC	24	Azoxystrobin 23% SC
8	Ethion 40%+ Cypermethrin 5% EC	25	Chlorothalonil 75% WP
9	Ethopenprox 10% EC	26	Sulfosulfuron 75% WG
10	Fenvalerate 20% EC	27	Paraquate Dichloride 24% SL
11	Fenpropathrine 10% EC	28	Buprofezin 25% SC
12	Hexaconazole 2% SC	29	Novaluron 10% EC
13	Hexaconazole 5% EC	30	Lambda-Cyhalothrin 5% EC
14	Hexaconazole 5% SC	31	Lambda-Cyhalothrin 2.5 % EC
15	Imidaclopride 30.5% SC	32	Fenpyroximate 5% SC
16	Metribuzin 70% WP	33	Thiodicarb 75% WP
17	Pendimethaline 30% EC	34	Monocrotophos 36 SL

2-उपर्युक्त कीटनाशियों का भण्डारण प्रतिष्ठान द्वारा कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 के विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा :- मेसर्स रैलिज इण्डिया लि0, द्वारा-कृति कुमारी, आलोक पेट्रोल पम्प के नजदीक, पटना -8

3-यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4-अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5-भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6-अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना एवं संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

7-नियम 10 बी0 के तहत सल्फर के लिए अलग से बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करना होगा।

8-अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विनिर्माता, राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेन्ट/विक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(बी0 कार्तिकेय)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

4220

/कृ0, पटना, दिनांक 28 अगस्त, 2015

प्रतिलिपि- (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (शष्प) उपादान, बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी), बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई0 टी0 मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

(7)
04-9-2015